26.4.23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। TDR लौटाई
से आख्या रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा आगे
कोई कार्यवाही शेष नहीं है अतः पत्रावली
फैसल शुदा की जाकर बाद तकमील
दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 6/2022 तारीख दायरा 20.01.2022

उनवान

अनवर बेग पुत्र अमजद बेग जाति खेलदार निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादी

बनाम

1. मतीन खान पुत्र मोहम्मद लुकमान
2. ओसाफ खान पुत्र मोहम्मद लुकमान
2. तोफिका खानम पुत्री मोहम्मद लुकमान
3. कनीजा खानम पत्नी मोहम्मद लुकमान जाति खेलदार निवासीगण सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
4. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। – प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :–

श्री सुशील कुमार शर्मा (वकील वादीगण) दिनांक :– 12.03.2022

श्री अमित पांचाल (वकील प्रतिवादीगण)

—निर्णय—

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद (कोटा)

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पिता/पति के खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम पामलाखेडी पटवार हलका कोटडी तहसील सांगोद में खाता स0 नई 103 के खसरा न0 22 की 0.02 हैक्टर, खसरा न0 23 की 0.01 हैक्टर, खसरा न0 24 की 0.12 हैक्टर कुल किता 3 की कुल 0.15 हैक्टर आराजी स्थित रही है जिसमें से जरिये विक्रय विलेख दिनांक 27.2.2009 क्रमांक 2008001525 के द्वारा तत्कालीन खातेदार मोहम्मद लुकमान से वादी ने 3/5 हिस्सा यानि 0.09 हैक्टर आराजी क्रय की है जिस पर वक्त खरीद से वादी ही काबिज काश्त चला आ रहा है। पूर्व खातेदार मोहम्मद लुकमान का स्वर्गवास हो चुका है तथा उक्त आराजी वर्तमान में प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के खाते दर्ज हो गई है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर ग्राम पामलाखेडी पटवार हलका कोटडी तहसील सांगोद में खाता स0 82 के खसरा न0 22 की 0.02 हैक्टर, खसरा न0 23 की 0.01 हैक्टर, खसरा न0 24/2 की 0.07 हैक्टर, खसरा न0 25 की 0.05 हैक्टर कुल किता 4 की कुल 0.15 हैक्टर आराजी दर्ज हुए है, जो वादग्रस्त आराजी सम्पूर्ण 0.15 हैक्टर आराजी प्रतिवादी न0 1 ता 4 के नाम खाते में दर्ज है, जिसमें से पूर्व खातेदार से वादी द्वारा 3/5 हिस्सा यानि 0.09 हैक्टर आराजी क्रय कर ली है जिससे वर्तमान में उक्त 0.15 हैक्टर आराजी में से 0.09 हैक्टर आराजी पर वादी व 2/5 हिस्सा यानि 0.06 हैक्टर आराजी पर प्रतिवादी न0 1 ता 4 काबिज काश्त हैं जिसके अनुसार वादी अपने हक में घोषणा करवाना चाहता है। वादी द्वारा आगे कथन किया गया कि वाद प्रस्तुती से दो माह पूर्व अपनी क्रयशुदा आराजी की नकल जमाबन्दी प्राप्त करने के लिए गया तो वादी की जानकारी में आया कि वादी की क्रयशुदा आराजी का आज तक पटवारी हलका द्वारा इन्तकाल नहीं खोला गया है

FOR COPYING FEES ONLY

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद

जबकि तत्कालीन पटवारी हलका महोदय को वादी द्वारा इन्तकाल खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र मय विक्रय विलेख की फोटो प्रति सहित दे दी थी, जिसके बाद भी इन्तकाल नहीं खुलने की जानकारी होने पर वादी द्वारा इन्तकाल खोलने की कहने पर पटवार हलका द्वारा इन्तकाल खोलने से मना कर दिया तथा न्यायालय से घोषणा करवाकर लाने पर ही इन्तकाल खोलने की कहकर मना कर देने से उक्त घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी न0 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अमित पांचाल द्वारा वादी के वाद का समर्थन करते हुए इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया और मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने मे अपनी सहमति प्रदान की। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा सरे इजलास पढकर सुनाया गया, किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है। राजीनामा तस्दीक किया गया। प्रतिवादी सं. 5 प्रकरण में फॉर्मल पक्षकार है। वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र एवं राजीनामें में वर्णित तथ्यों के आधार पर वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा बहस वकील वादी सुनी गई तथा पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेजों, रेकार्ड, नकल जमाबंदी, इकबाली जवाब दावा एवं प्रस्तुत राजीनामा आदि का गहनता से अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर उक्त वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम पामलाखेडी पटवार हलका कोटडी तहसील सांगोद मे खाता स0 नं 103 के खसरा न0 22 की 0.02 हैक्टर, खसरा न0 23 की 0.01 हैक्टर, खसरा न0 ... की 0.12 हैक्टर कुल किता 3 की कुल 0.15 हैक्टर आराजी में से वादी द्वारा जरिये

प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

भारत INDIA
एक रुपया ONE RUPEE
FOR COPYING FEES ONLY

विक्रय विलेख दिनांक 27.2.2009 क्रमांक 2008001525 के द्वारा तत्कालीन खातेदार मोहम्मद लुकमान से क्रय की गई 3/5 हिस्सा यानि 0.09 हैक्टर आराजी का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, शेष 0.06 हैक्टर आराजी का प्रतिवादी न0 1 ता 4 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया किया जावें। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अजना सहराबत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

करण संख्या : 6/2022

तारीख दायरा 20.01.2022

उनवान

नवर बेग पुत्र अमजद बेग जाति खेलदार निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा
जस्थान।

– वादी

बनाम

1. मतीन खान पुत्र मोहम्मद लुकमान
2. ओसाफ खान पुत्र मोहम्मद लुकमान
2. तोफिका खानम पुत्री मोहम्मद लुकमान
3. कनीजा खानम पत्नी मोहम्मद लुकमान जाति खेलदार निवासीगण सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
4. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। – प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट</u>

उपस्थित :-

श्री सुशील कुमार शर्मा (वकील वादीगण) दिनांक :– 12.03.2022

श्री अमित पांचाल (वकील प्रतिवादीगण)

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद ,कोटा

क्रमांक– 2022/382 दिनांक– 9/5/22

तहसीलदार,

तहसील सांगोद।

विषयः– इजराय संख्या 45/2022 उनवान अनवर बेग बनाम मतीन खान मुताबिक निर्णय पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मिसल नं0 6/22 उनवान अनवर बेग बनाम मतीन खान के न्यायालय में दिनांक 12.3.22 को निर्णय–डिक्री पारित किया जा चुका है। पत्र के साथ पुनः निर्णय डिक्री की छाया प्रति भिजवायी जा रही है। अतः प्रकरण में मुताबिक निर्णय (अगर किसी अन्य उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश न हो) आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.6.22 से पूर्व पालना करना सुनिश्चित करें।

सलंग्न–

निर्णय–डिक्री की छाया प्रति

अंजना सहरावत

उपखण्ड अधिकारी

सॉंगोद, जिला- कोटा

सांगोद

/

45/2022

कार्यालय तहसीलदार (भू0 अभि0) सांगोद जिला कोटा

क्रमांक / LR / 2023 / 843

दिनांक- 20/03/23

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

सांगोद।

विषयः- न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत्।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय प्र0 सं0 6/2022 उनवान [illegible]/22 [illegible] / [illegible] में जारी डिक्री दिनांक 20/1/22 की पालना में ग्राम [illegible] में नामान्तरकरण सं. 267 दिनांक 16/11/22 को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी है। नकल जमाबंदी संलग्न है। इसमें कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू0 अभि0)

तहसील सांगोद जिला कोटा